



भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केन्द्र, मुंबई

(फोन: 022-2282 0427; ईमेल: crpd@sbi.co.in)

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती

विज्ञापन संख्या: CRPD/ PO/2022-23/18

आवेदन का ऑन-लाइन पंजीकरण और शुल्क जमा करने की तिथि: 22.09.2022 से 12.10.2022

अभी
आवेदन करें

भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारियों (पीओ) के रूप में नियुक्त हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं पर भी पदस्थ किया जा सकता है।

- आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि को संबंधित पद हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं।
- पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी, जब आवेदन शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि (12.10.2022) या उससे पूर्व बैंक में ऑनलाइन जमा कर दिया गया हो।
- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अन्य विवरण एवं अद्यतन सूचना हेतु बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> अथवा <https://www.sbi.co.in/careers> को नियमित रूप से देखें। विज्ञापन में होने वाले किसी परिवर्तन/अद्यतन सूचना को अलग से विज्ञापित/सूचित नहीं किया जाएगा। सभी परिवर्तन/अद्यतन/शुद्धि पत्र के बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> अथवा <https://www.sbi.co.in/careers> पर ही होस्ट किया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण करने की आकांक्षा रखनेवाले संभावित उम्मीदवार पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन शुल्क का भुगतान, बुलावा पत्र जारी करना, परीक्षा/साक्षात्कार की प्रक्रिया एवं पैटर्न, आदि के संबंध में विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन कर सकते हैं और सुनिश्चित करें कि निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करें।

पात्र उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना है जो तीन चरणों में होगी, यथा – (i) चरण-1; (ii) चरण-2; और (iii) चरण-3। चुने गये उम्मीदवारों को चरण-1 के बाद चरण-2 में शामिल होना होगा। चरण-2 में चुने गये उम्मीदवारों को बाद में चरण-3 के लिए बुलाया जायेगा।

भर्ती प्रक्रिया का प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है :

गतिविधि	दिनांक
उम्मीदवार द्वारा आवश्यक सम्पादन/संशोधन सहित आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण	22.09.2022 से 12.10.2022
आवेदन शुल्क का भुगतान	22.09.2022 से 12.10.2022
प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना	दिसंबर 2022 के पहले/दूसरे सप्ताह के बाद से
चरण- I: ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा	17/18/19/20 दिसंबर 2022
प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा	दिसंबर 2022/जनवरी 2023
मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना	जनवरी 2023/फरवरी 2023
चरण- II: ऑनलाइन मुख्य परीक्षा	जनवरी 2023/फरवरी 2023
मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा	फरवरी 2023
चरण- III के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना	फरवरी 2023 के बाद
चरण- III: साइकोमेट्रिक टेस्ट	फरवरी/मार्च 2023
साक्षात्कार और समूह चर्चा	फरवरी/मार्च 2023
अंतिम परिणाम की घोषणा	मार्च 2023 के बाद
अनु.जाति/अनु.जन जाति/धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण	
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना	नवंबर 2022 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह के बाद
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन	नवंबर 2022 / दिसंबर 2022

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अन्य विवरण और अद्यतन जानकारी के लिए एसबीआई की अधिकृत वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> अथवा <https://www.sbi.co.in/careers> को नियमित रूप से देखें।

रिक्त-पद:

श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.*	इंडब्ल्यूएस*	यूआर	कुल	एल.डी.#	वी.आई.#	एच.आई.#	डी.ऑर.ई#@
नियमित रिक्त-पद	240	120	432	160	648	1600	16	16	16	16
बकाया रिक्त-पद	30	11	32	--	--	73	5	2	20	23
कुल	270	131	464	160	648	1673	21	18	36	39

संक्षेपाक्षर: अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति; अ.पि.व.- अन्य पिछड़ा वर्ग; इंडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग; यूआर- अनारक्षित; एल.डी.- लोकोमोटर दिव्यांगता; वीआई- दृष्टि बाधित; एचआई- श्रवण दोषी;

आरक्षण सहित सभी रिक्त-पद अनंतिम हैं तथा बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

* अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित रिक्त-पद 'नॉन क्रीमी लेयर' से संबंधित ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। 'क्रीमी लेयर' वाले ओबीसी उम्मीदवार अपनी श्रेणी को 'सामान्य' श्रेणी के रूप में दर्शाएं। ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर 01.04.2022 से साक्षात्कार की तारीख की अवधि के दौरान जारी 'गैर-क्रीमी लेयर' खंड से युक्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

बैचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां समस्तरीय रूप से आरक्षित हैं।

@ दिव्यांगजन अधिकार का अधिनियम 2016 की धारा 34 (i) के खंड 'डी' और 'ई' के तहत पद के लिए उपयुक्त पीडब्ल्यूडी श्रेणियाँ हैं:

(i) "विशिष्ट अधिगम अक्षमता" (एस.एल.डी.); (ii) "मानसिक रूग्नता" (एम.आई.); (iii) "ऑटिप्स स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर" (अत्यल्प) (ए.एस.डी-एम); (iv) बहु दिव्यांगता (एल.डी., वी.आई., एच.आई., एस.एल.डी., एम.आई. एवं ए.एस.डी-एम)

⁸ भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिक्षायत एवं पेंशन, भारत सरकार के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं.36039/1/2019-ईएसटीटी (आरईएस) द्वारा शासित होता है।

अस्वीकरण: "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्तियां अंतरिम हैं तथा भारत सरकार के आगे के निवेदियों और किसी भी कानून के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किए जाने वाले आय एवं आस्ति प्रमाणपत्र के अधीन हैं।"

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण पर ईंडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है।

ईंडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' के सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी किया गया 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' सत्यापन की तिथि पर या उससे पहले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। उक्त तिथि से परे 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' के प्रस्तुतीकरण के लिए समय के विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. पात्रता मानदण्ड:

(क) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता: (31.12.2022 को)

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी वर्ग में स्नातक या केन्द्र सरकार से मान्यताप्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। जो उम्मीदवार अपनी स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर में है, वे भी अनंतिम रूप से इस शर्त के अध्यधीन आवेदन कर सकते हैं कि यदि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें दिनांक 31.12.2022 को या उससे पूर्व स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। समन्वित दोहरी डिग्री (आईडीडी) प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित क

2. शारीरिक रूप से दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों के लिए आरक्षण:

दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 4 प्रतिशत का समस्तरीय आरक्षण दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह पद निम्नलिखित श्रेणी की अशक्तता के लिए आरक्षित होगा:-

क. चलने की अशक्तता (एलडी): चलने की अशक्तता (एलडी) श्रेणी के अंतर्गत आवदेन के लिए केवल ऐसे व्यक्ति ही पात्र हैं जो स्वयं एवं चीजों के चलन के साथ विशिष्ट कार्यकलाप करने में असमर्थ हैं जो सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हो चुका कोढ़, बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकार तथा एसिड अटैक से पीड़ित सहित पेशीय ढाँचे या तंत्रिका तंत्र या दोनों रोगों के कारण हैं।

निम्नलिखित बैंचमार्क वाले दिव्यांग व्यक्ति गतिशील अशक्तता में शामिल होते हैं:

ओए - एक हाथ प्रभावित (दाहिना या बायां)

ओएल - एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायां)

ओएएल - एक हाथ और एक पैर प्रभावित

बीएल - दोनों पैर प्रभावित किंतु हाथ प्रभावित नहीं

ओए और ओएल श्रेणी के व्यक्तियों के दूसरे अंग सामान्य रूप से कार्य करते हैं।

क. 'जिनके कुष्ठ ठीक हो चुके हैं' से आशय उस व्यक्ति से है, जिसका कुष्ठ ठीक हो गया है, परंतु वह निम्नलिखित प्रभाव से ज़्यूम रहा है:

i. हाथों या पैरों में संवेदना की कमी के साथ-साथ आंखों और पलकों में संवेदना की कमी व पक्षाधात होना, परंतु कोई स्पष्ट विकृति न होना।

ii. स्पष्ट विकृति और पक्षाधात होने पर भी जिसके हाथ और पैर सामान्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम हों।

iii. चरम शारीरिक विकृति के साथ-साथ उसका कम उम्र का होना, जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकता हो, वहाँ, 'कोढ़ ठीक हो गया है' भाव को उसी अनुसार समझा जाएगा।

ख. 'सेरेब्रल पाल्सी' का आशय उस गैर-विकसनशील न्यूरोजीकल स्थिति से है जो शरीर और मांसपेशीयों के समन्वय को प्रभावित करती है। इससे मस्तिष्क का कोई एक या अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह प्रायः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है।

ग. 'बौनापन' से आशय ऐसी चिकित्सकीय या जेनेटिक स्थिति से है, जिससे किसी व्यक्ति की लम्बाई 4 फुट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम रह जाती है।

घ. 'मांसपेशीय दुर्विकार' से आशय ऐसे अनुवांशिक जेनेटिक मांसपेशीय रोग समूह से है जो उन मांसपेशीयों को कमज़ोर करता है, जिनसे मानव शरीर गतिशील होता है। बहु मांसपेशीय दुर्विकार से पीड़ित व्यक्ति को अपने जीनों के बारे में गलत और अधूरी जानकारी होती है, जिससे उनकी स्वस्थ मांसपेशीयों के लिए आवश्यक प्रोटीन बननी बाधित हो जाती है। इसे विकसनशील स्केलेटल मांसपेशीय कमज़ोरी के रूप में माना जाता है, यह मांसपेशीय प्रोटीन को कुप्रभावित करती है, इससे मांसपेशीय सेल और टिश्युज मृत हो जाते हैं।

ङ. 'एसिड अटैक पीड़ित' से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो एसिड या इसी तरह के क्षयकारी तत्व फँकने से कुरुक्षण हो गया हो।

ख. दृष्टि बाधित (वीआई): केवल वे ही दृष्टिहीन दिव्यांग (वीआई) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो बेहतर स्थिति में आने से पहले निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त रहे हैं:

A. दृष्टिहीनता:

i. पूर्णतः दृष्टिहीन होना या
ii. वास्तव में दृष्टि सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर आंखों में 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से अधिक न हो अथवा
iii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 10 डिग्री के कोण बनाती हो या उससे भी कम। अथवा

B. कम दृष्टि:

i. वास्तविक दृष्टि सुधार के बाद दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम न हो।
ii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 40 से 10 डिग्री के कम के कोण बनाती हो।

ग. श्रवण बाधित (एच.आई.): केवल वे ही श्रवण बाधित (एच.आई.) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो बेहतर स्थिति में आने से पहले निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त रहे हैं :

क. बधिर: वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता 70 डीबी से कम रह गई हो।

ख. ऊँचा सुनना: वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता की हानि 60 डीबी से 70 डीबी हो गई हो।

घ. 'डी एवं ई': केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

क. "विशिष्ट अधिगम अक्षमता" (एसएलडी): से व्यक्तियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रैत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने में कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डाएसेक्सिया, डायसग्राफिया, डायस्कैलकुलिया तथा विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं।

ख. "मानसिक रुग्णता" (एमआई) से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रैत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

ग. "ऑटिस्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (अत्यल्प)" - एएसडी (एम) से एक ऐसी न्यूरो-विकास संबंधित स्थिति अभिप्रैत है जो विशेषता: जीवन के पहले तीन वर्षों में उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता प्रदान करती है और आम तौर पर यह असामान्य या एक जैसे कार्य या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

घ. "बहु दिव्यांगता" से एलडी, वीआई, एचआई, एसएलडी, एमआई और एएसडी (एम) में से बहु दिव्यांगता अभिप्रैत है।

नोट: **निर्धारित अशक्तता** वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण का पात्र माना जाएगा। **'निर्धारित अशक्तता वाले व्यक्ति'** से आशय उस व्यक्ति से है जो विनिर्दिष्ट अशक्तता का कम से कम 40 प्रतिशत अशक्त हो, उन मामलों में जहाँ विनिर्दिष्ट अशक्तता को मापन श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के प्रमाणन के अनुसार इसके अंतर्गत वह अशक्त व्यक्ति भी आता है जिसकी अशक्तता को मापन श्रेणी में रखा गया है।

आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति को भारत सरकार के अंतर्गत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अशक्तता प्रस्तुत करना होगा। बैंक के सक्षम अधिकारी के निर्णयनुसार इस प्रमाणपत्र का सत्यापन/पुनर्सत्यापन किया जा सकेगा। प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि या उससे पहले का होना चाहिए।

लेखक का उपयोग और प्रतिपूरक समय:

यदि उम्मीदवार चाहते हैं, तो लेखक की सुविधा ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए अनुमत की जाएगी जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक अशक्त है। अशक्तता वाले केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिनकी लिखने में कमज़ोर होने के साथ-साथ लिखने की गति भी प्रभावित है। लेखक का उपयोग करने के सभी मामलों में निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

- जो उम्मीदवार पात्र हैं और परीक्षा में लेखक की सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन कार्यालय द्वारा प्राप्त होने वाले लेखक का सावधानीपूर्वक उल्लेख करना होगा।
- उम्मीदवार और लेखक दोनों को ऑनलाइन परीक्षा के समय निर्धारित प्रारूप में एक उचित वचनपत्र देना होगा।
- ऐसे उम्मीदवार जो एक लेखक के उपयोग के लिए पात्र होंगे, वाहे वे लेखक की सुविधा का लाभ उठा रहे हों, या नहीं।
- उम्मीदवार को अपने निजी खर्च पर अपने निजी लेखक का प्रबंध करना होगा।
- ऐसा उम्मीदवार, जो ऊपर बताये गये दिशानिर्देशों के अनुसार लिखनेवाले का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा में लिखनेवाले का उपयोग करता है, को भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा।
- लिखनेवाले का उपयोग करने वाले उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार लिखनेवाले का उपयोग करने के लिए पात्र है।
- यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नपत्र हल कर रहा है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले कोई भी उम्मीदवार अगर लेखक का उपयोग कर रहा है, तो उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जायेगा और यदि पहले से बैंक की सेवा में शामिल हो गया है, तो उसे बिना सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।
- लिखनेवाले का उपयोग भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अशक्तता कार्य विभाग, नई दिल्ली के 26 फरवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन एफ.स

अन्य पिछडे वर्गों की श्रेणी में जिन उम्मीदवारों ने चरण-III के लिए क्लालीफाई किए हैं उन्हें 'नॉन क्रीमी लेयर' वाक्यांश वाला अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. जिन उम्मीदवारों ने खुद को अपिव (ओबीसी) के रूप में पंजीकृत किया है, लेकिन ओबीसी 'गैर-क्रीमी लेयर' प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं और सामान्य श्रेणी के तहत साक्षात्कार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत चरण- III के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने खुद को ईडब्ल्यूएस के रूप में पंजीकृत किया है, लेकिन डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं और सामान्य श्रेणी के तहत साक्षात्कार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

अंतिम चयन:

उम्मीदवारों को चरण-II और चरण-III, दोनों अलग अलग पास करना होगा। अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए मुख्य परीक्षा (चरण-II) की वस्तुनिष्ठ परीक्षा और वर्णनात्मक परीक्षा, दोनों में प्राप्त अंकों को चरण-III में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा। चयन के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा (चरण-I) में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जायेगा।

चरण-II (मुख्य परीक्षा, वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक परीक्षा दोनों) और चरण-III (समूह अभ्यास और साक्षात्कार) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 100 अंकों के लिए सामान्यीकृत किया जाएगा।

परीक्षण	मुख्य परीक्षा	समूह अभ्यास और साक्षात्कार	कुल
अधिकतम अंक	250	50	300
सामान्यीकृत अंक	75	25	100

चरण-II और चरण-III के अंकों को परिवर्तित कर कुल (100 में से) अंकों से अंतिम मेरिट सूची बनाई जाती है। प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से चयन किया जाएगा।

परिणाम का प्रकाशन

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के परिणाम और अंतिम परिणाम बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

5. परीक्षा केंद्र

- i. भारत में कई केंद्रों पर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र की संभावित सूची अनुलग्नक- I के रूप में संलग्न है।
- ii. परीक्षा केंद्र/दिनांक/सत्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii. हालांकि, प्रतिसाद और प्रशासनिक व्यवहार्यता, आदि के आधार पर, स्वयं फैसला करके, किसी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ और केंद्र शामिल करने के अधिकार को एसबीआई अपने पास सुरक्षित रखता है।
- iv. किसी उम्मीदवार के लिए उसके द्वारा चुने गए केंद्र के बदले किसी अन्य केंद्र को निर्धारित करने का अधिकार भी एसबीआई के पास सुरक्षित है।
- v. परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर स्वयं की जोखिम और खर्च से आएंगे और उस दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान या चोट आदि के लिए एसबीआई जिम्मेदार नहीं होगा।
- vi. परीक्षा कक्ष में उम्मीदवार द्वारा किए गए बुरे व्यवहार/दुर्योगों के कारण उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है या एसबीआई द्वारा आयोजित भावी परीक्षाओं के लिए उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- vii. मुख्य परीक्षा के लिए केंद्र सीमित संख्या में होंगे।
- viii. प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर: प्रारंभिक परीक्षा का कॉल लेटर परीक्षा स्थल पर एकत्र नहीं किया जाएगा। हालांकि, इसे परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/मुहर लगाई जाएगी। उम्मीदवार को कॉल लेटर (पहचान प्रमाण की प्रमाणित/मुहर लगी कॉपी के साथ) को सुरक्षित रूप से बनाए रखने की जरूरत होगी। जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें स्वयं को परिचित कराएं पुस्तिका और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार मुख्य परीक्षा कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक परीक्षा का प्रमाणिक मूल कॉल लेटर लाना अनिवार्य होगा। जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें "एकाइंट योरसेल्फ बुकलेट" और "कॉल लेटर" प्रदान की गई जानकारी के अनुसार विधिवत प्रमाणित मूल प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ) और साथ ही मुख्य परीक्षा कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे।
- ix. हालांकि, प्रारंभिक परीक्षा के दौरान रक्षाबद्ध फॉर्म (जहां भी लागू होगा) एकत्र किया जाएगा।
- x. उम्मीदवारों को स्वयं को परिचित कराएं पुस्तिका और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ दो अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर उम्मीदवार द्वारा चिपकाए गए फोटो के समान) लाने की आवश्यकता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर बिना फोटो चिपकाए और दो अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर चिपकाए गए के समान) के बिना रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार उसी तस्वीर की 8 प्रतियां (लगभग) अपने पास रखें जो आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड की गई थी क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी)

6. परिलिंग्घीयाँ:

वर्तमान में कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल-I को लागू वेतनमान ₹36000-1490/7-46430-1740/2-49910-1990/7-63840 के अनुसार प्रारंभिक मूल वेतन ₹41,960/- (4 अग्रिम वेतनवृद्धि के साथ) है। अधिकारी समय समय पर लागू नियमों के अनुसार डी.ए., एच.आर.ए./लीज किराया, सी.सी.ए., चिकित्सा एवं अन्य भूमियों और अनुलाभों के लिए भी पात्र होंगे।

7. प्रशिक्षण एवं कैरियर में वृद्धि:

चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिसे वे कार्यग्रहण करें से पहले पूरा करेंगे। चयनित उम्मीदवारों को बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी करने हेतु उन्हें ₹2 लाख (दो लाख रुपए मात्र) का बांड भरना होगा। यदि अधिकारी अपनी सेवा प्रारंभ से 3 वर्षों के पूर्व बैंक सेवा छोड़ता है तो बैंक इस बांड का अपने पक्ष में भुगतान करा लेगा।

बैंक ज्वाइन करते समय अधिकारियों का पदानाम 'परिवीक्षाधीन अधिकारी' होगा और उन्हें 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा। वे परिवीक्षा अवधि के दौरान बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार सतत मूल्यांकन के अधीन होंगे। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार जो अधिकारी मूल्यांकन में पास हो जाएंगे, उन्हें बैंक सेवा में कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-1 (जेएमजीएस-1) में स्थाई कर लिया जाएगा।

यदि कोई अधिकारी न्यूनतम निर्धारित मानदंड पूरा नहीं कर पाता है तो बैंक नियमों के अनुसार उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है।

बैंक अपने अधिकारियों के कैरियर में संवृद्धि के लिए विदेश में पदस्थापना सहित उन्हें विकल्प के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराता है। बैंक की पदान्वति नीति इतनी आकर्षक है कि यह मेधावी और विशेष प्रतिभावान अधिकारियों को एक तरक्सियत अवधि में शीर्ष प्रबंधन श्रेणी तक पहुँचा देती है।

8. आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार: (वापस न करने योग्य):

सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹750 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 'शून्य' होगी। एक बार अदा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी कारण से लौटाया नहीं जायेगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

9. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण:

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अ.जा./अ.ज.जा./धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, वे उम्मीदवार जो उपर्युक्त श्रेणियों से संबंधित हैं और अपने खर्च पर इस प्रशिक्षण के इच्छुक हैं, वे ऑन-लाइन आवेदन करते समय संबंधित कालम में सूचित करें। प्रशिक्षण केंद्रों की निर्देशात्मक सूची अनुलग्नक-I के रूप में दी गई है।

बैंक प्रशिक्षण हेतु दर्शाएं गए केन्द्रों में कुछ नए केन्द्र जोड़ सकता है या उनमें से कुछ को हटा भी सकता है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प मांगा है, वे प्रशिक्षण के लिए कॉल लेटर को पंजीयन नंबर और पासवर्ड/जन्म दिनांक की प्रविष्टि करके बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करें। कॉल लेटर की हार्ड प्रति डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर बैंक व्यवहार्यता के आधार पर भौतिक कक्षाएं या ऑनलाइन सोल तके जरिये परिष्का पूर्व प्रशिक्षण आयोजित कर सकता है।

10. अवसरों की संख्या:

श्रेणी	अवसरों की संख्या

<tbl_r

12. कॉल लेटर्स डाउनलोड करें:

उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड/जन्म दिनांक की प्रविष्टि करके कॉल लेटर (पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण/प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा/जीई और साक्षात्कार) और 'एक्वेंट योरसेल्फ' पुस्तिका डाउनलोड करें।

कॉल लेटर/एक्वेंट योरसेल्फ पुस्तिका की कोई भी हार्ड कॉपी डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

ध्यान दें: मुख्य परीक्षा के समय, उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के समय विधिवत आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रमाणित मूल प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित कॉपी के साथ) और साथ ही मुख्य परीक्षा कॉल लेटर लाना होगा। आवश्यक दस्तावेजों के साथ इन दस्तावेजों को मुख्य परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करना होगा।

उम्मीदवारों को स्वयं को परिचित कराएं पुस्तिका और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ दो अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर उम्मीदवार द्वारा चिपकाए गए फोटो के समान) लाने की आवश्यकता है।

कॉल लेटर पर बिना फोटो चिपकाए और दो अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर चिपकाए गए के समान) के बिना रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में बैठने होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. पहचान-पत्र की पुष्टि परीक्षा के समय प्रस्तुत करनी होगी:

उम्मीदवार अपने साथ एक मूल फोटो पहचान प्रमाण जैसे पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/विधिवत साक्षात्कार फोटो वाली बैंक पासबुक/स्कूल या कॉलेज/राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान पत्र और उसकी स्वयं साक्षात्कार फोटोकापी भी लेकर आएं। पहचान-प्रमाण की फोटो कॉपी कॉल लेटर के साथ परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक को देनी होगी, ऐसा न करने पर उम्मीदवार की पहचान पर संदेह होने पर उस उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. बायोमेट्रिक सत्यापन:

बैंक विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान/आईआरएस स्कॉन डिजिटल प्रारूप में ले सकता है, ताकि उम्मीदवार की प्रामाणिकता सत्यापित हो सके। किसी उम्मीदवार के नकली होने की बात सामने आने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया जाएगा। तदनुसार, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे उनके बुलावा पत्र में दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करें।

यदि कोई भी उम्मीदवार असली नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, उसकी/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

इसके अलावा, उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि वह अपने हाथों पर कोई बाहरी पदार्थ जैसे मेंहदी, स्याही, रसायन आदि न लगाएं।

15. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

क. उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि ऐसा कोई विवरण न दें/संलग्न न करें जो असत्य, जाली/बनावटी हो या आवेदनपत्र भरते समय किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएँ।

ख. यदि लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय कोई उम्मीदवार निम्नलिखित बातों का दोषी पाया जाता है : (i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना या (ii) छद्म व्यक्ति बनकर छद्म व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना या (iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या (iv) उम्मीदवार के रूप में अपने चयन हेतु किसी अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लेना या (v) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनुचित साधन की सहायता लेना, तो ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई ही दी जाएगी।

- जिस परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, उसमें उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित भर्ती के लिए किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या किसी निश्चित अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

ग. बैंक उम्मीदवार के जवाबों का परीक्षा में शामिल अन्य उम्मीदवारों के जवाबों के साथ समानता द्वारा देखने के लिए विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के आधार पर यदि यह पाया गया कि जवाब एक जैसे हैं, और प्राप्त अंक यथार्थ/वैध नहीं है, तो बैंक के पास उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

घ. उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, पेजर, कैलक्यूलेटर या ऐसे उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

i. जहां परीक्षा आयोजित की गयी है, उस परिसर में मोबाइल फोन, पेजर या कोई भी संचार उपकरण लाने की अनुमति नहीं है। इन सूचनाओं का पालन न करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भविष्यकालीन परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति न मिलने के साथ-साथ उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

ii. उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा/साक्षात्कार के स्थान पर पेजर/कैलक्यूलेटर सहित कोई भी निषिद्ध वस्तु न लाएं, क्योंकि उनके सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। प्रवेश द्वार पर आरोग्य सेन्ट्रु प्रदर्शित होने के बाद, उम्मीदवार को अपने मोबाइल फोन को चिप्पिं अॉफ करना होगा, और ऐसे निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा, जिसे बाहर निकलते समय एकत्र किया जाएगा।

iii. उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में कैलक्यूलेटर लाने या उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

16. सामान्य सूचना :

i. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रणाली द्वारा निर्मित अपने ऑन लाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट ले।

ii. उम्मीदवार ने जिस पद के लिए आवेदन किया है, उस पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में संतुष्टि करें ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑन लाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी और आवश्यक फीस का भुगतान करने पर परीक्षा में शामिल होने की बैंक अनुमति देगा और साक्षात्कार के समय और/या बाद के चरणों में उनकी पात्रता को निर्धारित करेगा।

iii. आवेदन पत्र में किसी भी विवरण (श्रेणी सहित) में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध, एक बार अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद, किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी पत्राचार/फोन/ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन को ध्यान से भरें और आवेदन में सही जानकारी दें।

- iv. उम्मीदवारों को सूचना दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से काफी पहले ऑन लाइन आवेदन करें और फीस का भुगतान करें ताकि इंटरनेट पर अतिभार से या वेबसाइट बंद होने से डिस्कनेक्शन/असहायता/वेबसाइट पर लॉग ऑन के लिए असमर्थता आदि न हो।
- v. ऊपर निर्दिष्ट कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण के बाहर के कारणों से अंतिम तिथि के पहले आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थता होने वाले उम्मीदवारों की जिम्मेदारी एसबीआई की नहीं होगी।
- vi. उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत न करें। यदि उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करता है, तो केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन मान्य होगा और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार जो अन्य आवेदनपत्रों के लिए भरा है उसे जब्त किया जाएगा। उम्मीदवार की परीक्षा में/या समूह कार्य और साक्षात्कार के लिए अनेक बार उपस्थिति/प्रकटन मान्य नहीं होगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।
- vii. परीक्षा के आयोजन के समय कुछ प्रशासनिक समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव परीक्षा के आयोजन तथा/अथवा परिणामों पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और ऐसे प्रयास में यदि आवश्यक हुआ तो दूसरी परीक्षा का आयोजन करना शामिल है।
- viii. प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर परीक्षा केंद्र पर एकत्र नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इसे परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों द्वारा विधिवत जाँच/ प्रमाणित/ स्टापिट किया जाएगा। उम्मीदवार को कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित/ मुहर लगी प्रति के साथ) सुरक्षित रूप से अपने पास रखना होगा। जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें एकाइंट योरसेल्फ बुकलेट और कॉल लेटर प्रदान की गई जानकारी के अनुसार विधिवत प्रमाणित मूल प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ) और साथ ही मुख्य परीक्षा कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे।
- ix. जो उम्मीदवार सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में कार्यरत हैं, उनको सूचना दी जाती है कि वे अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' लेकर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें जिसके बिना उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और यात्रा किराया, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
- x. चयन होने पर, नियुक्ति स्वीकारने के समय, उम्मीदवार को अपने पूर्व नियोक्ता से उचित कार्य-मुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xi. पात्रता मानदंड और जन्म तिथि के प्रमाण के बारे में मूल दस्तावेज साक्षात्कार की तारीख को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि साक्षात्कार की तारीख को सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उम्मीदवार को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- xii. अ.जा/अ.ज.जा उम्मीदवारों को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, त

परीक्षा केंद्र (अनान्तिम सूची)

राज्य कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र/प्रारंभिक परीक्षा केंद्र	मुख्य परीक्षा केंद्र
11	अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर
12	आंध्र प्रदेश	चिराला, चितूर, एलुरु, गुंटुर, कडप्पा, काकीनाडा, कुर्नुल, नेल्लोर, ओंगोले, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाडा, विशाखापट्टनम, विजयानगरम	गुंटुर, कुर्नुल, विजयवाडा, विशाखापट्टनम
13	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	नाहरलगुन
14	অসম	ডिबরुগঢ়, গুবাহাটী, জোরাহট, সিলচৰ, তেজপুর	গুবাহাটী
15	বিহার	আরা, ভাগলপুর, দরভংগা, গয়া, মুজিফ্ফরপুর, পটনা, পুর্ণিয়া	আরা, পটনা, মুজিফ্ফরপুর
16	চণ্ডীগঢ়	চণ্ডীগঢ়/মোহালী	চণ্ডীগঢ়/মোহালী
17	ছত্তীসগঢ়	ভিলাঈ, বিলাসপুর, রায়পুর	রায়পুর
18	গোৱা	পণজী	পণজী
19	গুজরাত	অহমদাবাদ/গাংথীনগর, আণাং, হিমতনগর, জামনগর, মেহসাণা, রাজকোট, সুরত, বড়োদরা	অহমদাবাদ/গাংথীনগর
20	হরিয়ানা	অংবালা, ফরীদাবাদ, গুরুগ্রাম	অংবালা, ফরীদাবাদ, গুরুগ্রাম
21	হিমাচল প্রদেশ	বিলাসপুর, হমীরপুর, কাঙড়া, কুলু, মংডী, শিমলা, সোলন, ঊনা	শিমলা, সোলন
22	জমুৰ ও কশ্মীৰ	জমুৰ, সাংবা, শ্রীনগর	জমুৰ, শ্রীনগর
23	জ্বারখণ্ড	বোকারো, ধনবাদ, হজারীবাগ, জমশেদপুর, রাঁচী	জমশেদপুর, রাঁচী
24	কর্ণাটক	বেলগাম, বেংগলুৰু, বিদ্ৰ, দাবাংগেৰে, ধারবাড়, গুলবার্গা, হাসন, হুবলী, মণ্ডচা, মাংলোৰ, মেসুৰ, শিমোগা, উডিপী	বেংগলুৰু
25	কেরল	অলপুজ্জা, কন্নুর, কোথি, কোল্লাম, কোঙ্গায়ম, কোঞ্জিকোঠে, মলপুরম, পালককড়, ত্রিচুর, তিরুবনন্তপুরম	কোথি, তিরুবনন্তপুরম
26	লদাখ	লেহ	লেহ
27	লক্ষ্মীপ	কবরাতী	কবরাতী
28	মধ্য প্রদেশ	ভোপাল, গ্বালিয়ার, ইন্দৌর, জবলপুর, সতনা, সাগর, উচ্চৈন	ভোপাল, ইন্দৌর
29	মহারাষ্ট্র	অমৃতবতী, ঔরঙ্গাবাদ, চন্দ্রপুর, ধুলো, জলগাঁও, কোল্হাপুর, লাতূর, মুংবই/ঠাণে/ নবী মুংবই, নাগপুর, নাংডেড, নাসিক, পুণে, রত্নাগীরি, সোলাপুর	ঔরঙ্গাবাদ, নাগপুর, পুণে, মুংবই/ঠাণে/নবী মুংবই
30	মণিপুর	ইম্ফাল	ইম্ফাল
31	মেঘালয়	শিলাংং	শিলাংং
32	মিজোরাম	আইজবাল	আইজবাল
33	নাগালেণ্ড	কোহিমা	কোহিমা
34	দিল্লী – এনসীআর	দিল্লী ও নई দিল্লী	দিল্লী ও নई দিল্লী
35	ओডিশা	বালাসোৰ, বৰহমপুৰ (গংজম), ভুবনেশ্বৰ, কটক, ধেনকানাল, রাঊৰকেলা, সংবলপুৰ	ভুবনেশ্বৰ
36	পুঁচেরী	পুঁচেরী	পুঁচেরী
37	পঞ্জাব	অমৃতসর, ভটিণ্ডা, ফতেগঢ়সাহিব, জালাংধৰ, লুধিয়ানা, মোহালী, পঠানকোট, পটিয়ালা, সংগুৰু	ভটিণ্ডা, জালাংধৰ, লুধিয়ানা, মোহালী, পটিয়ালা
38	রাজস্থান	অজমেৰ, অলবৰ, বীকানেৰ, জয়পুৰ, জোধপুৰ, কোটা, সীকৰ, উদয়পুৰ	জয়পুৰ
39	সিকিম	বৰ্দাঁগ – গংগটোক	বৰ্দাঁগ – গংগটোক
40	তামিলনাড়ু	চেন্নাঈ, কোয়ম্বতূৰ, ঈরোড়, মদুরাঈ, নাগরকোইল, সলেম, তংজাবুৰ, তিরুচিরাপল্লী, তিরুনেলবেল্লী, ঵েল্লোৰ, ঵িরুদ্ধনগৰ	চেন্নাঈ, মদুরাঈ, তিরুনেলবেল্লী
41	তেলংগানা	হৈদৰাবাদ, করীমনগৰ, খম্মাম, বারংগল	হৈদৰাবাদ
42	ত্রিপুরা	অগৱতলা	অগৱতলা
43	উত্তর প্রদেশ	আগৰা, অলীগঢ়, প্ৰয়াগৰাজ (ইলাহাবাদ), বৰেলী, বাঁদা, ফেজাবাদ, গাজিয়াবাদ, গোঁড়া, গোৱাখপুৰ, ঝাঁসী, কানপুৰ, লখনऊ, মথুৰা, মেৰঠ, মুৰাদাবাদ, মুজিফ্ফৰপুৰ, নোঁড়া/গ্ৰেট নোঁড়া, সীতাপুৰ, বাৰাণসী	আগৰা, প্ৰয়াগৰাজ (ইলাহাবাদ), গাজিয়াবাদ, নোঁড়া/গ্ৰেট নোঁড়া, কানপুৰ, লখনऊ, মেৰঠ, বাৰাণসী
44	উত্তরাখণ্ড	দেহৰাদুন, হল্দবানী, রুড়কী	দেহৰাদুন
45	পশ্চিম বাংলা	আসনসোল, দুর্গাপুৰ, হুগলী, কল্যাণী, কোলকাতা, সিলিগুড়ী	হুগলী, কল্যাণী, কোলকাতা

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशन के अनुसार अपने फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) इमेज रखना आवश्य होगा।

क. हस्तलिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है:

मैं.....(उम्मीदवार का नाम), जन्म तिथि..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। जब भी आवश्यक होगा, मैं सहायक दस्तावेज पेश करूँगा/करूँगी। हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और बाएं अंगूठे का निशान मेरा है।

ख. बाएं अंगूठे का निशान: यदि किसी उम्मीदवार के पास बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है।

फोटोग्राफ (4.5cm × 3.5cm):

- फोटोग्राफ अद्यतन, पासपोर्ट साइज और रंगीन होना चाहिए।
- पिक्चर रंगीन होनी चाहिए और वह सफेद या फीकी रंगीन पार्श्वभूमि पर होनी चाहिए।
- स्वस्थ चित्त होकर कैमरे की ओर सीधे देखें।
- यदि फोटो सूर्योप्रकाश में ली जाएं तो सूरज आपके पीछे हो या आप छाया में खड़े हो, जिससे आपका फोटो साफ आए।
- अगर आपको फ्लैश का उपयोग करना पड़े तो 'रेड आई' न हो।
- अगर आप चश्मे का उपयोग करते हैं, तो आपकी आँखे साफ नजर आने के लिए चश्मे पर प्रतिबिंब न हो।
- टोपियाँ, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार पगड़ी स्वीकार्य है, पर उससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (वरीयतः)
- फाइल का साइज 20 केबी-50 केबी के दरम्यान हो।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की हुई फोटो की साइज 50 केबी से अधिक न हो। उसके बाद स्कैनर का सेटिंग समायोजित इस तरह करें कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि स्कैनिंग के समय ठीक हो।
- यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार उसी ही फोटो की लगभग 8 प्रतियां रखें जो आवेदन के समय अपलोड किया जाता है क्योंकि चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।

हस्ताक्षर:

- उम्मीदवार सफेद कागज पर काले स्थाही के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार का हो, और किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर न हो।
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर या अन्यत्र जहाँ जरूरी हो, किया जाएगा।
- परीक्षा के समय यदि उत्तर पुस्तिका (स्क्रिप्ट) पर किए हुए उम्मीदवार के हस्ताक्षर कॉल लेटर के हस्ताक्षर से नहीं मिलते, तो आवेदक को अपात्र समझा जाएगा।
- आयाम 140 x 60 पिक्सेल (वरीयतः)
- फाइल की साइज 10 केबी-20 केबी हो।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का आकार 20 केबी से अधिक न हो।
- कैपिटल अक्षरों में किया गया हस्ताक्षर स्वीकृत नहीं होगा।

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान:

- आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्थाही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होता है।
- **फाइल प्रकार:** जेपीजी/जेपीईजी
- **आयाम:** 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 3cm x 3cm (चौड़ाई X ऊँचाई)।
- **फाइल का आकार :** 20 केबी - 50 केबी

हस्तलिखित घोषणा:

- आवेदक को एक सफेद कागज पर काली स्थाही से अंग्रेजी में घोषणा स्पष्ट रूप से लिखनी होगी।
- **फाइल प्रकार:** जेपीजी/जेपीईजी
- **आयाम:** 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 10cm x 5cm (चौड़ाई X ऊँचाई)।
- **फाइल का आकार :** 50 केबी - 100 केबी
- अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

ध्यान दें:

- (i) सुनिश्चित करें कि फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर अपलोड की गई हो।
- (ii) फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा केवल आवेदक की होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- (iii) यदि परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक या बुलावा पत्र पर आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैनिंग:

- स्कैन का रिजोल्यूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) सेट करें।
- असली कलर सेटिंग करें और फाइल साइज, जैसा उपर विनिर्दिष्ट किया गया है।
- फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक स्कैनर में छवि को क्रॉप करें और उसके बाद अंतिम आकार (जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) तक छवि का क्रॉप करने के लिए अपलोड संपादक का उपयोग करें।
- प्रतिमा की फाइल जेपीजी या जेपीईजी फारमैट में हो। उदाहरण के लिए फाइल का नाम 'image01.jpg' अथवा 'image01.jpeg'. इमेज के आयाम की जांच फोल्डर फाइल का लिस्टिंग करके या माऊस को फाइल इमेज आईकॉन की ओर घुमाकर की जा सकती है।
- एमएस विडोजे/एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले उम्मीदवार एमएस पैट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके आवश्यक आकार से अनधिक रूप में दस्तावेजों को ".jpeg" प्रारूप में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्कैन किए गए फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा को किसी भी प्रारूप में फाइल मेनू में "Save As" विकल्प का उपयोग करके '.jpg' प्रारूप में सहेजा जा सकता है और आकार को crop and then resize विकल्प का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता है।
- यदि फाइल साइज एवं फारमैट निर्धारित मानदंड के अनुसार नहीं है, तो त्रुटि संदेश (error) नजर आएगा।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को अपने फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने की कार्य प्रणाली:

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक होंगे।
- संबंधित लिंक "Upload Photograph, Signature, Left-Hand Thumb Impression & Hand-Written Declaration" पर क्लिक करें।
- उस स्थान को ब्राउज करें और चुनें जहाँ स्कैन किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा फाइल को सहेजा गया है।
- क्लिक से फाइल सिलेक्ट करें।
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें।
- फाइल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित रूप में न होने पर एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- अपलोड की गई छवि का प्रीव्यू छवि की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धब्बे के मामले में, इससे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता लाकर फिर से अपलोड किया जा सकता है।

जब तक आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और निर्दिष्ट के रूप में हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते हैं, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा।

नोट:

- 1) यदि फोटो में चेहरा, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को अपलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि छवियां स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं। यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार फॉर्म प्रस्तुत करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को फिर से अपलोड कर सकता है।
- 2) ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से जनरेट हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।
- 3) उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो, हस्ताक्षर के स्थान पर हस्तलिखित घोषणापत्र के स्थान पर हस्तलिखित घोषणापत्र अपलोड किया जाता है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो, हस्ताक्षर के स्थान पर हस्तलिखित घोषणापत्र के स्थान पर बाएं हाथ के अंगूठे के निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र के स्थान पर हस्तलिखित घोषणापत्र को ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।